

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर
केम्प जिला ग्वालियर-(म0प्र0)

पुर्नवलोकन आवेदन क्रमांक-

1. नंदलाल आत्मज श्री जगन्नाथ शाह
आयु वयस्क,

1223 - 136 - 8812-16

2. दिनेश कुमार शाह आत्मज श्री नंदलाल शाह
आयु वयस्क, निवासीगण-5, हमीदिया रोड

भोपाल जिला भोपाल (म0प्र0) ———

आवेदकगण

विरुद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा
कलेक्टर महोदय, रायसेन
जिला रायसेन-(म0प्र0)

2. फ्रेन्ड्स को-आपरेटिव सोसायटी लि0
भोपाल द्वारा-

(1) पी.एम. मथाई आ0 श्री मथाई

(2) पी.जी. आत्मज श्री पी. जार्ज

(3) नयन वर्गीस आ0 श्री के.एन. वर्गीस
निवासीगण-बी.एच.ई.एल. भोपाल.

3. हरनाम सिंह, आयु वयस्क,

ज्ञान सिंह, आयु वयस्क,

भानसिंह, आयु वयस्क

मैला सिंह, आयु वयस्क,

समस्त पुत्रगण श्री हरिसिंह

निवासीगण-आनंद नगर भोपाल-———

अनावेदकगण

आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा 114 व्यवहार प्रक्रिया संहिता सहपठित
आदेश 47 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता.

आवेदक/पुर्नवलोकनकर्ता माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रं.-अपील
204-दो/2003 में पारित आदेश दिनांक 14.01.2016 जिसके द्वारा माननीय
न्यायालय द्वारा आवेदक/पुर्नवलोकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को यह
उल्लेखित करते हुए निरस्त किया गया है कि प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमियों
के संबंध में अंतरण नियत दिनांक 15.11.1961 के पश्चात् हुए हैं । चूंकि
सक्षम प्राधिकारी द्वारा मध्य प्रदेश कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम

57
श्री सुलोचनीना
अभिभा कुड 0377
झाल सि.
12 2/16
95 पंका
8/12/16
5/2/18

12
26/2
12/18

12/18

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 736-पीबीआर/2016

[नं. 204-दो / 2003]

जिला रायसेन

स्थान तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अधिवक्तों
आदि के हस्ताक्षर

10.3.16

आवेदक के द्वारा मध्यप्रदेश कृषि खातों के अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 के अन्तर्गत इस न्यायालय द्वारा अपील क्रमांक 204-दो/2003 में पारित आदेश दिनांक 14-1-2016 के विरुद्ध यह रिव्यु प्रस्तुत किया गया है । प्रकरण में रिव्यु की ग्राह्यता के बिन्दु पर आवेदक अधिवक्ता को सुना गया । आवेदक अधिवक्ता का रिव्यु की ग्राह्यता के संबंध में मुख्य तर्क यह है कि राजस्व मण्डल के द्वारा इसी प्रकार के समान प्रकरणों में पूर्व में आदेश पारित किये गये हैं ।

2/ जहाँ तक आवेदक के वर्तमान प्रकरण का प्रश्न है इसमें यह स्वीकृत तथ्य है कि सक्षम प्राधिकारी के द्वारा म0प्र0कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम 1960 के मूल अधिनियम (Unamended) के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज किया जाकर दिनांक 16-6-1966 को आदेश पारित किया गया है, जबकि आवेदक जिन अन्तरणों के आधार पर छूट चाह रहा है, वे अन्तरण निश्चित तौर पर मूल अधिनियम में नियत दिनांक 15-11-1961 के पश्चात् हुये हैं। जिन समान प्रकरणों के आधार पर आवेदक के द्वारा यह रिव्यु चाह जा रहा है, उनमें मूल संशोधित अधिनियम में पारित सक्षम प्राधिकारी के बाद हुये अन्तरणों पर amended अधिनियम के आधार पर छूट दी गई है, जो कि विधिक दृष्टि से सही नहीं है । इस संबंध में आवेदक द्वारा उल्लेखित राजस्व मण्डल द्वारा अन्य प्रकरणों में पारित आदेशों को राजस्व मण्डल में पृथक से परीक्षण कर न्यायोचित कार्यवाही की जावेगी ।

3/ 1981 आर.एन.245 देवेन्द्र विजयसिंह जूदेव विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया है कि "असंशोधित अधिनियम के अधीन लंबित प्रकरणों में आगे की समस्त कार्यवाही असंशोधित अधिनियम के अधीन पूरी की जायेगी न कि संशोधित अधिनियम के अधीन ।" उक्त न्यायादृष्टांत के प्रकाश में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-1-2016 पूरी तरह विधिक आदेश है तथा इस रिव्यु आवेदन में अन्य कोई ऐसा आधार विद्यमान नहीं है जिसके आधार पर इस रिव्यु आवेदन को सुनवाई हेतु ग्राह्य किया जा सके । फलतः यह रिव्यु आवेदन अग्राह्य किया जाता है । आवेदक को सूचित किया जाये ।




अध्यक्ष